

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ: जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/643 /

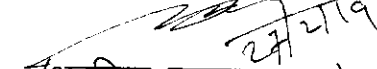
जबलपुर, दिनांक 27/02/2019

श्री संजय कुमार त्रिपाठी, फर्राश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को लिफ्टमैन के रिक्त पद पर वेतन बैंड-1 में वेतनमान रु. 5200-20200 ग्रेड पे रु. 1900/- (7 वे वेतनमान में लेवल 4 पे मेट्रीक्स 19500-62000) में नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित परिवीक्षा पर 2 वर्ष के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत/नियुक्त किया जाता है :-

1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।
4. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
6. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
7. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी।

9. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे। अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।
10. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।
11. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार


(अरविन्द कुमार शुक्ला)

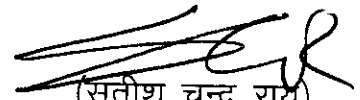
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक—A/644—/

जबलपुर, दिनांक 27/02/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 2. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु,
 3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
 4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
 5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 9. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 10. सहायक स्था./अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 11. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 12. श्री संजय कुमार त्रिपाठी, फर्राश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
Rcr

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

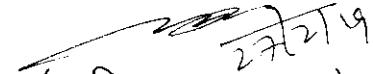
// आदेश //

क्रमांक A/645

जबलपुर, दिनांक 27/02/2019

श्री हुल्कर सिंह राजपूत, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त रिकार्ड सप्लायर के पद वेतनमान रुपये 4440-7440/- + ग्रेड पे रु. 1400/-(7 वे वेतनमान में लेवल 2 पे मेट्रीक्स 16100-50900) में पदोन्नत करते हुये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार,


(अरविन्द कुमार शुक्ला)

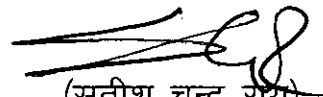
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन A/646

जबलपुर, दिनांक 27/02/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.) / रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफीसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. श्री हुल्कर सिंह राजपूत, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(सतीश चन्द्र रॉय)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)
Br

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/647

जबलपुर, दिनांक 27/02/2019

निम्न आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर को फरार्श/भृत्य के पद पर वेतनमान रूपये 4440-7440 + ग्रेड पे रू. 1300/- (7 वे वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500-49000) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदोन्नत करते हुये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	नाम	पदोन्नत पद का पदनाम	टीप
1	2	3	4
1	श्री आनंद कुमार नामदेव आत्मज श्री रघुनंदन प्रसाद नामदेव,	फरार्श	रिक्त पद पर
2	श्रीमती रीतू आत्मा पति स्व. श्री अशोक आत्मा,	भृत्य	रिक्त पद पर
3	श्री संतोष कुमार प्रजापति आत्मज श्री इमरत लाल प्रजापति,	भृत्य	रिक्त पद पर
4	श्री रविशंकर रैकवार आत्मज श्री भवानी शंकर रैकवार,	भृत्य	रिक्त पद पर
5	श्री राममणि कुशवाहा आत्मज श्री लालमणि कुशवाहा,	भृत्य	रिक्त पद पर
6	श्री धर्मराज पाल आत्मज श्री मुल्लुर पाल,	भृत्य	रिक्त पद पर
7	श्री उज्जवल गौतेल आत्मज श्री धनीराम गौतेल,	भृत्य	रिक्त पद पर
8	श्री शिवकुमार कुशवाहा आत्मज श्री गोमती प्रसाद कुशवाहा,	भृत्य	रिक्त पद पर
9	श्री संजय कुमार तिवारी आत्मज श्री गौरीशंकर तिवारी,	भृत्य	रिक्त पद पर
10	श्रीमती लक्ष्मी रजक पत्नि श्री राजकुमार रजक,	भृत्य	रिक्त पद पर
11	श्री संजय कुमार कुशवाहा आत्मज स्व. श्री पराग राम कुशवाहा,	भृत्य	रिक्त पद पर
12	मो. याकूब छीपा आत्मज स्व. मो. सगीर,	भृत्य	रिक्त पद पर
13	श्री विनोद कुमार कुशवाहा आत्मज श्री द्वारका प्रसाद कुशवाहा,	भृत्य	रिक्त पद पर
14	श्री बाबूलाल कुशवाहा आत्मज श्री बाल्मीक कुशवाहा,	भृत्य	रिक्त पद पर

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार,

(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल

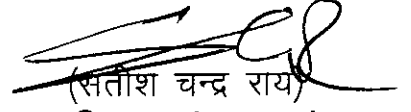
पृष्ठांक A/648

जबलपुर, दिनांक 27/02/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.) / रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
10. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफीसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री आनंद कुमार नामदेव, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
12. श्रीमती रीतू आत्मा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,

13. श्री संतोष कुमार प्रजापति, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 14. श्री रविशंकर रैकवार, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 15. श्री राममणि कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 16. श्री धर्मराज पाल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 17. श्री उज्जवल गौतेल, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 18. श्री शिवकुमार कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 19. श्री संजय कुमार तिवारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 20. श्रीमती लक्ष्मी रजक, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 21. श्री संजय कुमार कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 22. मो. याकूब छीपा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 23. श्री विनोद कुमार कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 24. श्री बाबूलाल कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली), उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)
Ran

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक

A/649

जबलपुर, दिनांक 27/02/2019

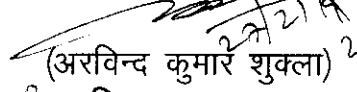
निम्नलिखित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्त नियम 1976 के नियम 4(एक) के अंतर्गत 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले नवगठित सेवा के सदस्य(माली) के रूप में, वेतनमान रुपये 4440-7440 + ग्रेड पे रु. 1300/- (7 वे वेतनमान में लेवल 1 पे मेट्रीक्स 15500-49000) में अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से व्यपवर्तित करते हुए निम्नांकित शर्तों पर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर नियुक्त/पदोन्नत किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	पदोन्नत पद का पदनाम
1	2	3
1.	श्री विवेक तिवारी आत्मज श्री रामसुमिरन तिवारी	माली
2.	श्री गुलाब राय कुशवाहा आत्मज श्री राम निहोर कुशवाहा	माली
3.	श्री प्रीतम लाल रजक आत्मज श्री श्याम लाल रजक	माली
4.	श्री प्रदीप कुमार राजपूत आत्मज श्री उग्रसेन राजपूत	माली
5.	श्री जगन्नाथ कुशवाहा आत्मज श्री माधौ प्रसाद कुशवाहा	माली
6.	श्री इमरान खान आत्मज स्व. श्री शेख अब्दुल खान	माली

- यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
- यह कि कर्मचारी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारी दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
- यह कि वे उच्च न्यायालय के सेवाकाल में किसी अन्य कार्यालय को किसी अन्य पद के लिए सीधे आवेदन नहीं करेंगे।
- यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के अग्रिम अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होंगे, स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- यह कि उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तौर पर है तथा उनकी सेवायें कभी भी बिना कारण बताये समाप्त कर दी जावेगी।
- यह कि, उनकी नियुक्ति इस प्रतिबंध के साथ की जाती है कि उन्हें अपनी स्वास्थ्यता का प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया हो प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र विपरीत पाये जाने पर कर्मचारी की सेवायें समाप्त की जावेगी।
- कर्मचारी को यह स्वीकार करना होगा कि प्रशासनिक आवश्यकता समझी जाने पर उन्हें खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर की स्थापना पर सेवा करने हेतु स्थानांतरित किया जा सकेगा।
- कर्मचारी को समय-समय पर पारित हिदायतों का कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करना होगा।
- यह कि, यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

10. कर्मचारी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे, वे भी उसे मान्य होंगे।
11. यह कि उपरोक्त कर्मचारी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं मूल प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार,

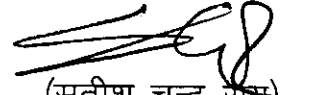

(अरविन्द कुमार शुक्ला) 27/2/19
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन A/650

जबलपुर, दिनांक 27/02/2019

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.) / रजिस्ट्रार-कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
 3. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
 4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 5. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. असिस्टेंट रजिस्ट्रार स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 9. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 10. सहायक, स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ./प्रोटोकॉल ऑफिसर उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 11. श्री विवेक तिवारी आत्मज श्री रामसुमिरन तिवारी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 12. श्री गुलाब राय कुशवाहा आत्मज श्री राम निहोर कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 13. श्री प्रीतम लाल रजक आत्मज श्री श्याम लाल रजक, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 14. श्री प्रदीप कुमार राजपूत आत्मज श्री उग्रसेन राजपूत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 15. श्री जगन्नाथ कुशवाहा आत्मज श्री माधौ प्रसाद कुशवाहा, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
 16. श्री इमरान खान आत्मज स्व. श्री शेख अब्दुल खान, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार(प्रशासन)